-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहन चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 10 हजार रुपए के इनामियां अभियुक्त (गैंग सदस्य) को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहनों की चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 10 हजार रुपए के इनामियां वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 21.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कस्बा मटौंध से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए है

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि पुत्र मुन्ना लाल निवासी सेढ़ू तलैया थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 52/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त रवि उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 222/24 धारा 379/411 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 592/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 594/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 596/24 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 02/2026 धारा 2(B)i/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह प्र0नि0 थाना मटौंध
2. निरी0 श्री इंदल यादव
3. कां0 शिवम
4. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार